

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:- 29/22

दायरा दिनांक 07.07.2022

पीठासीन अधिकारी :- श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

अशोक पुत्र माधोलाल जाति खैरवा निवासी हथियादेह तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.) - अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राजस्थान)

- रेस्पोजेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

निर्णय

दिनांक :- 29.07.2024

अपीलान्त द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार किशनगंज के प्रकरण संख्या 9/2022 निर्णय दिनांक 21.06.2022 के विरुद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को ग्राम मोयदा की आराजी खसरा नम्बर 386 रकबा 0.02 हैक्टेयर पर सम्मत 2079 किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 7/- रुपये शास्ति, नीलामी एवं विवादित आराजी से बेदखल करते हुये निर्माण कार्य को ध्वस्त किये जाने के आदेश दिए गए हैं। अपीलान्त का कथन है कि उक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय से पूर्व अपीलान्त को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है। और अपीलान्त को अतिक्रमी मानते हुये बेदखली का आदेश पारित किया है। जो प्राकृतिक न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों के विपरीत है।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोजेण्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की तलबी की गई।

वकील अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराने के साथ साथ अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय से पूर्व अपीलान्त को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है और अपीलान्त को अतिक्रमी मानते हुये बेदखली का आदेश पारित किया है। ग्राम मोयदा में स्थित आवासीय मकान हथियादेह बांध डूब क्षेत्र में आने के कारण और बरसात का समय नजदीक आ जाने के कारण ग्राम मोयदा की उक्त भूमि में पूर्व से बसी हुई बस्ती के नजदीक आकर अपना अस्थाई रैन-बसेरा बनाया है। हथियादेह बांध के कारण हुये विस्थापित परिवारों को उचित पुर्नवास की व्यवस्था होने तक अपने आवास हेतु काम में लेने के लिए अस्थाई कच्चा आवास तैयार किया है जो अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलान्त के वकील का यह भी तर्क है कि बिना कोई सूचना दिये निर्णय पारित किया गया है। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल कर निर्माण कार्य को ध्वस्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं। अतः उक्त आदेश निरस्त किया जाये।

हमने अपीलान्त के विद्वान वकील के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। पत्रावली में अतिक्रमी सिद्ध करने बाबत पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
शाहबाद (बारां)